

कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,  
23 एलनगंज, प्रयागराज, पिन कोड:- 211002  
दूरभाष सं०/ फ़ैक्स नं०:- 0532-2466769, 0532-2467504 Website: <https://updeled.gov.in>  
ई-मेल आई डी:- secretarypnp.up@gmail.com, updeled@gmail.com

## विज्ञप्ति

डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण 2024 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु समय-सारिणी

### PHASE- 1

डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2024 हेतु शासनादेश सं० 941/अरसठ-4-2024-2067/2013 दिनांक 09.09.2024 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा शासनादेश सं० 1424/अरसठ-4-2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 23.12.2024 द्वारा काउंसलिंग/प्रवेश की कार्यवाही हेतु निर्गत समय-सारिणी एवं शासनादेश सं० 1424(1)/अरसठ-4-2024 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 23.12.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में याचिका सं० 24528/2024 यशांक खण्डेलवाल व 9 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के अनुपालन में याचिका से सम्बन्धित याचीगणों को औपबन्धिक रूप से सम्मिलित करते हुए डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी अभ्यर्थियों से मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन हेतु संस्थान का विकल्प वेबसाइट <https://updeled.gov.in> के माध्यम से भरे जाने हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है -

#### भाग-1

स्टेट रैंक 01 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु रू० 5000/- (रू० पाँच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि	26 दिसम्बर 2024 सायं से	12 जनवरी 2025 तक
---	-------------------------	------------------

#### भाग-2

क्र० सं०	संस्थान का विकल्प भरने की तिथि	स्टेट रैंक	संस्था आवंटन प्रकाशित होने की तिथि	आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि
01	30 दिसम्बर 2024 (सायं) से 02 जनवरी 2025 तक	रैंक 01 से 20,000 तक	03 जनवरी 2025	08 जनवरी 2025 से
02	03 जनवरी 2025 (सायं) से 08 जनवरी 2025 तक	रैंक 20,001 से 1,00,000 तक एवं (क्रम सं० 01 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो )	09 जनवरी 2025	20 जनवरी 2025 सायं 06:00 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि
03	09 जनवरी 2025 (सायं) से 14 जनवरी 2025 तक	रैंक 1,00,001 से 2,40,000 तक एवं (क्रम सं० 01 एवं 02 में विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो )	15 जनवरी 2025	
04	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक करने की अंतिम तिथि (नोट- निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट <a href="https://updeled.gov.in">https://updeled.gov.in</a> पर ऑनलाइन रिपोर्ट/लॉक नहीं किये जाने पर, लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा )			22 जनवरी 2025

#### नोट -

- आवेदित समस्त 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट/स्टेट रैंकिंग वेबसाइट <https://updeled.gov.in> पर दिनांक 26.12.2024 (अपराह्न) को प्रकाशित की जाएगी।

2. प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या, वर्गवार/श्रेणीवार रिक्त सीटों की सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश भी उपलब्ध है।
3. स्टेट रैंक के आधार पर काउंसिलिंग के चक्र/चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में Allotment Fees रू0 5000/- (रू0 पाँच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान के पुष्टि (confirmation) होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी अपनी पसन्द (Choice) के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑन लाइन पूरित कर सकेंगे।
4. अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात् Choice Lock न करने पर भरे गये विकल्पों को स्वतः लॉक माना जायेगा जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।
5. आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश की पुष्टि (Confirmation) हेतु Allotment Letter प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में रू0 5000/- (पाँच हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान पुनः करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र (Allotment Letter) प्रिंट कर सकेंगे।
6. यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कालेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किये गये Allotment Fees रू0 5000/- अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसिलिंग के अग्रिम चक्र/चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किये जाने हेतु पुनः रू0 5000/- का भुगतान करना होगा।
7. काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र/चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो अभ्यर्थी को प्रवेश/काउंसिलिंग के अग्रिम चक्र/चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किये जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
8. आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा, निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जॉच/प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिये जाने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाये जाने पर, उनके द्वारा भुगतान किये गये दोनो शुल्क Allotment Fees रू0 5000/- एवं Confirmation Fees रू0 5000/- को किसी भी स्थिति में वापस (Refund) नहीं किया जाएगा।
9. अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जॉच/प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश सम्बन्धित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. याचिका सं0 24528/2024 यशांक खण्डेलवाल व 9 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के अनुपालन में याचिका से सम्बन्धित याचीगणों को प्रवेश प्रक्रिया में औपबन्धिक रूप से सम्मिलित कराये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है। उक्त याचीगणों के आवेदन, काउंसिलिंग, एवं प्रवेश/चयन की कार्यवाही याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील सं0 918(डी)/2024 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम यशांक खण्डेलवाल व 09 अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय एवं अन्य विधिक उपचारों के अधीन होगा।

ऑन लाइन विकल्प पूरित करने/अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशानिर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अनिल भूषण चतुर्वेदी)  
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पू0सं0 / डी0एल0एड0 2024 / 4910-16 / 2024-25 दिनांक 23/12/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री राजेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकाशित विज्ञापित के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग/प्रवेश से सम्बन्धित समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. शाखा प्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, टैगोर टाउन, प्रयागराज एवं भारतीय स्टेट बैंक, त्रिवेणी शाखा, प्रयागराज।
6. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
7. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राचार्य, सी0टी0ई0 वाराणसी एवं प्रबन्धक/प्राचार्य निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।

(अनिल भूषण चतुर्वेदी)  
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज